

अनुज्ञा प्रार्थना-पत्र

(छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 277 के अन्तर्गत)

श्री मान,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
आगरा छावनी।

सेवा में,

निवेदक है क प्राथी को वर्ष _____ के लिए छावनी क्षेत्र में निम्न स्थान पर निम्न प्रकार का व्यवसाय करने का अनुज्ञा पत्र (लायसेन्स) प्रदान की कृपा करें।

विवरण निम्न प्रकार है-

1-पुराने अनुज्ञा पत्र के नम्बर आदि _____

2-फर्म का नाम _____

3-मालिक अथवा मैनेजर का नाम _____

वर्तमान व घर का पता _____

4-व्यापार का स्थान _____

5-वस्तुओं का विवरण जिनका व्यवसाय करना चाहते हैं _____

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि व्यवसाय से सम्बन्धित सभी नियमों का दृढता से पालन करता रहूँगा और दुकान के सामने की सरकारी जगह को अपने व्यवसाय हेतु प्रयोग नहीं करूँगा ना रास्ता रोकूँगा अन्यथा बोर्ड के अधिकारी को अधिकार होगा कि वह सरकारी जगह को तुरन्त खाली करा लें और अनुज्ञा पत्र (लायसेन्स) को निलम्बित कर दें।

प्रार्थी-

केवल सरकारी प्रयोग हेतु

1. स्वास्थ्य अधीक्षक/कर अधीक्षक की टिप्पणी-
2. स्वास्थ्य अधिकारी/कर अधिकारी की अनुज्ञांसा-
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी की आज्ञा अथवा बोर्ड का निर्णय-